

उत्तर प्रदेश शासन  
आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1  
संख्या-813/78-1-2020-25/2012  
लखनऊ: दिनांक: 15<sup>th</sup> जुलाई, 2020

**अधिसूचना**

भारत के संविधान के अनुच्छेद-162 के अन्तर्गत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय "उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप नीति-2020" प्राख्यापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- "उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप नीति-2020" अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से 05 वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

3- "उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप नीति 2020" में समय की आवश्यकताओं के अनुरूप किसी प्रकार का परिवर्तन मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकेगा।

संगलनक-यथोपरि।


आलोक कुमार  
अपर मुख्य सचिव

संख्या-813(1)/78-1/2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 2- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
- 3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
- 4- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 5- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 6- निजी सचिव, मा0 विभागीय मंत्री/उप मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
- 7- निजी सचिव, मा0 विभागीय राज्य मंत्री, उ0प्र0
- 8- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, लखनऊ।
- 9- गार्ड फाइल।

नीति की प्रति संलग्न।

आज्ञा से,  
  
(बराती लाल)  
संयुक्त सचिव